



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या - 931 वर्ष 2026

तसव्वर

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपरीत पक्ष

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	मोहम्मद कमर शाह आलम
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. निषाद तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान ज़मानत अर्जी आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे मुकदमा चलने के दौरान, थाना कोतवाली मंडी, जिला सहारनपुर में पंजीकृत केस अपराध संख्या 0458/2024, धारा 2/3, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। गैंग-चार्ट में उल्लिखित आपराधिक इतिहास को ज़मानत अर्जी के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में स्पष्ट किया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि गैंग-चार्ट में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना या आयोजक नहीं है, और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में सूचीबद्ध किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो दुष्प्रेरण किया है और न ही कोई सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह निवेदन किया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 09.12.2024 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020** (11) एससीसी 648 मामले में दिए गए एक निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित होना, अपने आप में, जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।

इसके विपरीत, विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध नहीं कर सके, और न ही वे आवेदक के खिलाफ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए 'गैंग-चार्ट' में दर्शाए गए मामले के अलावा कोई अन्य मामला इंगित कर सके।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से परिलक्षित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, तथा अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना—मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, तत्सावर को, उपर्युक्त केस अपराध संख्या ' में जमानत पर रिहा किया जाए; इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतें प्रस्तुत करनी होंगी। यह रिहाई निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा, ताकि उसे उन तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा /उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष, निम्नलिखित तिथियों पर—स्वयं उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत के लिए निर्धारित तिथि पर, (ii) आरोप तय किए जाने की तिथि पर, और (iii) बयान दर्ज किए जाने की तिथि पर।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि साक्ष्य (गवाही) के लिए निर्धारित तिथियों पर—जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों—वह मामले को स्थगित करने की कोई प्रार्थना नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, चाहे वह स्वयं उपस्थित हो या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस ज़मानत आवेदन के निपटारे के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

16 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।